राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2020

जयपुर, दिनांक : 01.04.2020

जिला कलेक्टर (समस्त)
राजस्थान।

विषयः– तबलीग जमात के चिन्हित किये गये सदस्यो के मेडिकल परीक्षण व आईसोलेशन/क्वारंटाईन के सम्बन्ध में।

प्रसंगः– अतिरिक्त महानिदेशक इन्टैलिजेन्स राजस्थान पुलिस जयपुर का पत्रांक एडीजीपी/इन्टै./पीए/2020/16 दिनांक 01.04.2020 के क्रम में।

अतिरिक्त महानिदेशक इन्टैलिजेन्स राजस्थान पुलिस ने प्रासंगिक पत्र द्वारा अवगत कराया है कि राजस्थान में तबलीग जमात के लगभग 450 सदस्यो को चिन्हित किया गया है जिनकी सूचना जोन अधिकारियो द्वारा आपको पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है।

अतः कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु निर्देशित किया जाता है कि तबलीग जमात के उक्त चिन्हित किये गये सदस्यो के मेडिकल परीक्षण व आईसोलेशन/क्वारंटाईन प्रोटोकॉल की कडाई से पालना सुनिश्चित की जावें तथा इस संम्बन्ध में की गयी कार्यवाही से इस विभाग को तत्काल अवगत कराया जावें।

01/04/2020
(रोहित कुमार सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय।
2. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
4. अतिरिक्त महानिदेशक इन्टैलिजेन्स राजस्थान पुलिस।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
6. संभागीय आयुक्त समस्त राजस्थान।
7. पुलिस महानिरीक्षक रेन्ज समस्त राजस्थान।
8. निदेशक, जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर।
9. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन राज.।
10. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज. को प्रेषित कर लेख है कि जिला कलेक्टर से समन्वय स्थापित कर तबलीग जमात के उक्त चिन्हित किये गये सदस्यो के मेडिकल परीक्षण, आईसोलेशन/क्वारंटाईन प्रोटोकॉल की कडाई से पालना सुनिश्चित करे तथा इस संम्बन्ध में की गयी कार्यवाही से इस विभाग को तत्काल अवगत करावें।
11. निजी /रक्षित पत्रावली

(संजय कुमार) 1.4.2020
शासन उप सचिव

Scanned by CamScanner